



बिहार विधान परिषद्

दैनिक विवरणिका

संख्या- 13

सत्र- 185वां

**सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख
शनिवार, दिनांक 18.3.2017 ई.**

**माननीय सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह की
अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही आरंभ हुई।**

12.00 मध्याह्न से 5.00 अपराह्न तक

1. **कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आसन का ध्यान आकृष्ट किया जाना एवं आसन का नियमन**

सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही माननीय सदस्य, श्री विनोद नारायण झा ने अपने कार्यस्थगन के माध्यम से बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग के संबंध में अपनी बात रखनी चाही, जिसपर आसन से माननीय सभापति महोदय ने नियमन देने की कृपा की कि प्रश्नकाल के बाद इसे उठाइएगा। इसपर विरोधी दल के माननीय सदस्यगण अपने स्थानों से खड़े होकर जोर-जोर से बोलने लगे तथा प्रत्युत्तर में सत्तापक्ष के माननीय सदस्य भी जोर-जोर से बोलने लगे। आसन के अनुरोध के बाद माननीय सदस्यगण अपने स्थानों पर बैठ गये।

तदुपरांत आसन से नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय सदस्य, श्री विनोद नारायण झा से प्राप्त कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना को बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 104(3) के आलोक में अस्वीकृत कर दिया गया है।

2. **प्रश्नोत्तर काल**

अल्पसूचित प्रश्न

प्रश्न संख्या- 125, 126, 127, 128, 129, उत्तरित हुए।

प्रश्न संख्या- 130 स्थगित

प्रश्न संख्या- 131 सदन पटल पर रखा गया।

प्रश्न संख्या- 132 से 135 अनागत हुए।

आसन का नियमन

अल्पसूचित प्रश्न संख्या- 125 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि ठीक है, माननीय मंत्री ने कहा कि आदेश दिया जा रहा है, माननीय मंत्री इसको देख लेंगे।

तारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या- 240, 242, 243, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 उत्तरित हुए।

प्रश्न संख्या- 239, 244 स्थगित हुए।

प्रश्न संख्या- 241 व्यपगत हुए।

प्रश्न संख्या- 253, 254, 255, 256, 259, 260 सदन पटल पर रखे गए।

प्रश्न संख्या- 257, 258 अनागत हुए।

आसन का नियमन

तारांकित प्रश्न संख्या- 239 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि आज स्थगित किया जाता है, माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये विन्दुओं का ध्यान रखते हुए अगले सप्ताह में माननीय मंत्री, जवाब दे दीजिएगा।

तारांकित प्रश्न संख्या- 244 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि आज इसे स्थगित कर देते हैं।

शून्यकाल की घोषणा होते ही विरोधी दल के माननीय सदस्यगण अपने हाथों में बैनर लेकर जोर-जोर से बोलने लगे तथा सदन बेशम में चले आये।

3. शून्यकाल

शून्यकाल के दौरान माननीय सदस्य, डा. संजीव कुमार सिंह ने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जिसका माननीय सदस्य, डा. दिलीप कुमार चौधरी ने भी समर्थन किया और कहा कि बिहार के सारे शिक्षक धरना पर बैठे हुए हैं, सरकार उनसे वार्ता करे।

आसन का निदेश

आसन से यह निदेश देने की कृपा की गई कि शून्यकाल की सूचना को सरकार ग्रहण करे और उनलोगों से बात करे।

इस अवसर पर सदन बेशम से विरोधी दल के माननीय सदस्यगण जोर-जोर से बोलते रहे तथा प्रत्युत्तर में सत्तापक्ष के माननीय सदस्य अपने स्थानों से बोलने लगे। सदन के व्यवस्थित नहीं रहने

की स्थिति में माननीय सभापति महोदय ने सदन को 2.30 अपराह्न तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी।

(अंतराल)

(इस अवसर पर माननीय उप सभापति महोदय ने आसन ग्रहण किया)

4. ध्यानाकर्षण

1. माननीय सदस्य, श्री रामचन्द्र भारती द्वारा मानसिक दिव्यांग बच्चों के लिए प्रत्येक जिले में आवासीय विद्यालय खोलने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा ने वक्तव्य दिया।

2. माननीय सदस्य, श्री लालबाबू प्रसाद द्वारा पश्चिम चंपारण जिले के नरकटियागंज बलश्र पथ पर पंडई पुल की मरम्मती के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री शैलेश कुमार ने वक्तव्य दिया।

3. माननीय सदस्य, श्री नीरज कुमार द्वारा टाल क्षेत्र मोकामा-बड़हिया में स्थायी जल प्रबंधन के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने वक्तव्य दिया।

4. माननीय सदस्य, श्री केदारनाथ पाण्डेय द्वारा स्लीपर बसों का परिचालन बंद करने एवं बिना स्लीपर बसों का परमिट निर्गत करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री चंद्रिका राय ने वक्तव्य दिया।

5. माननीय सदस्य, श्री हीरा प्रसाद बिन्द द्वारा विधिपुर-सालेपुर पी.डब्ल्यू.डी. सड़क की घोवा नदी और फोरलेन के बीच पथांश के चौड़ीकरण के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री आलोक कुमार मेहता ने वक्तव्य दिया।

5. वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक पर विभागवार सामान्य वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर
(ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, श्रम संसाधन विभाग)

वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक पर विभागवार सामान्य वाद-विवाद पर निम्नांकित माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए -

1. श्री विजय कुमार मिश्र
2. श्री राजन कुमार सिंह
3. श्री रामलक्षण राम "रमण"
4. श्री सुमन कुमार
5. श्री सुबोध कुमार
6. श्रीमती रीना देवी उर्फ रीना यादव
7. श्री संजय प्रसाद
8. श्री राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता
9. श्री शिव प्रसन्न यादव

विभागवार वाद-विवाद के उपरांत सरकार की ओर से निम्नांकित माननीय मंत्रियों ने वक्तव्य दिया -

1. श्री विजय प्रकाश

(माननीय मंत्री के वक्तव्य के बीच में ही विपक्ष के माननीय सदस्यगण उठकर सदन से बाहर चले गये।)

तदुपरांत माननीय मंत्री ने आसन के निदेश पर अपना लिखित वक्तव्य सदन पटल पर रखा।

2. श्री शैलेश कुमार

आसन की पृच्छा

आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने यह पृच्छा कि जितने भी विधान परिषद् के माननीय सदस्य हैं, उनसे राय नहीं ली गयी, इससे सहयोग ही होगा कि जो छूटी हुई सड़क है, वह पूरी हो जाएगी। इसपर माननीय मंत्री ने भी सहमति व्यक्त की।

माननीय मंत्री ने सरकार की ओर से उत्तर दिया तथा अपना बजट भाषण से संबंधित पुस्तिका को सदन पटल पर रखा।

3. श्री श्रवण कुमार

माननीय मंत्री ने सरकार की ओर से उत्तर दिया तथा अपना लिखित वक्तव्य सदन पटल पर रखा।

6. निवेदन

निवेदन के माध्यम से निम्नांकित माननीय सदस्यों ने सदन का ध्यान आकृष्ट किया-

1. श्री केदारनाथ पाण्डेय
2. श्री सतीश कुमार
3. श्री राधाचरण साहू
4. श्रीमती मनोरमा देवी

5. श्री शिवप्रसन्न यादव
6. श्री राणा गंगेश्वर सिंह
7. श्री लखन कुमार सराफ
8. श्री सोने लाल मेहता
9. श्री रामचन्द्र भारती
10. प्रो. संजय कुमार सिंह

माननीय उप सभापति महोदय ने सदन की अनुमति से यह निदेश देने की कृपा की कि प्राप्त सभी निवेदन 'निवेदन समिति' के विचारार्थ सुपुर्द किए जाएं।

तत्पश्चात् परिषद् की बैठक सोमवार, दिनांक 20.3.2017 को
12.00 मध्याह्न तक के लिए स्थगित हुई।

Prasad
18/3/2017
(सुभीम शर्मा)
मुख्य प्रतिवेदक
बिहार विधान परिषद्

ज्ञापांक- 365 (3) / वि.प.

पटना, दिनांक 18.3.2017

प्रतिलिपि : बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण/ महामहिम राज्यपाल के सचिव, बिहार/ माननीय महाधिवक्ता, बिहार/ माननीय लोकायुक्त, बिहार/ बिहार सरकार के सभी विभाग तथा विभागाध्यक्ष/ सभी राज्यों के विधानमंडलों के सचिव/ लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली/ विधि मंत्रालय, नई दिल्ली/ पुस्तकालयाध्यक्ष, संसद भवन, नई दिल्ली/ बिहार विधान मंडल पुस्तकालय, पटना/ निदेशक, जनसंपर्क एवं सूचना विभाग, बिहार/ अधिष्ठान निदेशक, आकाशवाणी, पटना/ समाचार संपादक, दूरदर्शन केन्द्र, पटना/ सचिव, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रमोद कुमार
18-3-2017
(प्रमोद कुमार)
वरीय प्रतिवेदक
बिहार विधान परिषद्